कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून

महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून - 248195

सं. : स्था.नि./प्रतिवेदन संख्या-77/2017-18/
दिनांक : /12/2017

सेवा में,

अ धशासी अ धकारी,
नगर पा लका परिषद, नरेन्द्रनगर,
जनपद- टिहरी गढ़वाल
उत्तराखण्ड

वषय : नगर पा लका परिषद, नरेन्द्रनगर का वर्ष 2015-16 से 2016-17 तक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

आपके कार्यालय का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रे षत कर यह अवगत कराना है क प्रतिवेदन के भाग-2(अ) मे शून्य प्रस्तर, भाग- 2(ब) में 08 प्रस्तर एंव STAN में शून्य प्रस्तर हैं, इन प्रस्तरों को भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली की वा षक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन (Annual Technical Inspection Report) (ATIR) में सम्मि लत कया जाना सम्भा वत है। भाग- 2(ब) के सभी प्रस्तरों की प्रतिपालन आख्या अपने उच्चतर अ धकारी के माध्यम से भेजा जाना अनिवार्य है।

अतः अनुरोध है क उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन की प्रथम प्रतिपालन आख्या इनकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर संलग्न प्रारूप में प्रे षत करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : 1 प्रतिवेदन की प्रति
2. प्रतिपालन आख्या का प्रारूप

भवदीय,

वरि. लेखापरीक्षा अ धकारी/स्थानीय निकाय

सं0 स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या 46/2017-18/ दिनांक : /11/2017

प्रति ल प निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रे षत :

1- निदेशक, शहरी वकास निदेशालय उत्तराखण्ड, 31/62 निकट राजपुर रोड़ साईं इंस्टीट्यूट के पास, देहरादून
2- निदेशालय, लेखापरीक्षा (आ डट) निदेशालय, द् वतीय-तल, आयुक्त कर भवन, जोगीवाला, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून, पन कोडः 248005

वरि. लेखापरीक्षा अ धकारी/स्थानीय निकाय

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** नगर पंचायत गैरसैण, जनपद-चमोली की यह प्रथम लेखापरीक्षा थी।

2. **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र**:-

(i) भौगोलिक क्षेत्र: **7.528 वर्ग कि.मी.**

(ii) जनसंख्या: **8,665**

(iii) निर्वाचित सदस्यों की संख्या: **07**

(iv) नगर पालिका परिषद द्वारा आयोजित बैठकों की संख्या: **08 बैठकें प्रतिवर्ष**

(v) उपसमितियों, स्थायी समितियों की संख्या तथा प्रत्येक आयोजित बैठकों की संख्या: **शून्य**

(vi) कर्मचारियों की संख्या: **02**

(vii) नगर पालिका परिषद की संपत्तियाँ: **02 कूड़ा वाहन |**

(viii) नगर पालिका परिषद के अपने प्रोजेक्ट: **कोई नहीं**

(ix) योजनाओं की संख्या: **आय-व्यय विवरण के अनुसार**

(x) (अ) सामाजिक संरक्षा:

(ब) रोजगार सृजन से संबन्धित:

(स) वर्ष के दौरान पूर्ण की गई योजनायें:

(द) लाभार्थियों की संख्या:

(xi) वर्ष के दौरान कर, रेट्स ड्यूटी चुंगी आदि की वसूली तथा बकाया राशि: **आय-व्यय विवरण के अनुसार**

(xii) वर्ष के दौरान कुल व्यय

(अ) सामान्य :

(ब) योजनाओं पर (प्रत्येक योजना का अलग-अलग दर्शाया जाय) एवं संलग्नक के रूप में लगाया जाये | : **आय-व्यय विवरण के अनुसार**

(xiii) क्या वार्षिक योजनाओं एवं बजट पर निर्वाचित निकाय द्वारा चर्चा की गयी तथा उसे पारित किया गया: **हाँ**

भाग-I. 2(ii)(अ)										
कार्यालय अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत गैरसैण, जनपद-चमोली को विगत तीन वर्षों के दौरान बजट आवंटन एवं व्यय का विवरण										
										समस्त धनराशि (`) में
वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना (NP)		गैर स्थापना (P)		अवशेष			
							स्थापना (NP)		गैर स्थापना (P)	
	स्थापना (NP)	गैर स्थापना (P)	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)	आधिक्य (+)	बचत (-)
2014-15	13222	2062778	2223067	834250	554896	2042344	0	1402039	0	575330
2015-16	1402039	575330	2057442	1157238	25129715	15516984	0	2302243	0	10188061
2016-17	2302243	10188061	1991198	2984437	4614607	5657209	0	1309004	0	9145459
कुल योग			**6271707**	**4975925**	**30299218**	**23216537**				

भाग-I. 2(ii)(अ)						
कार्यालय अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत गैरसैण, जनपद-चमोली का वर्ष 2013-14 का आय-व्यय विवरण						
क्र.सं.	**मद का नाम**	**पूर्व वर्ष का अवशेष**	**वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ**	**कुल प्राप्तियाँ**	**वर्ष के दौरान व्यय**	**अन्तिम अवशेष**
1	केन्द्रीय वित्त आयोग	0	0	0	0	0
2	राज्य वित्त आयोग	0	0	0	0	0
3	अवस्थापना विकास निधि	0	450000	450000	0	450000
4	स्वच्छ भारत मिशन	0	0	0	0	0
5	विधायक निधि (अर्जित ब्याज सहित)	0	0	0	0	0
6	बी.आर.जी.एफ.	0	1510000	1510000	0	1510000
7	यू.बी.आर.जी.एफ.	0	0	0	0	0
8	सूडा से प्राप्त अनुदान	0	315000	315000	212222	102778
9	मा. मुख्यमंत्री घोषणा	0	0	0	0	0
10	निकाय निधि (ब्याज एवं अमानत सहित)	0	13222	13222	0	13222
	कुल योग	**0**	**2288222**	**2288222**	**212222**	**2076000**

कार्यालय अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत गैरसैण, जनपद-चमोली का वर्ष 2014-15 का आय-व्यय विवरण						
क्र.सं.	**मद का नाम**	**पूर्व वर्ष का अवशेष**	**वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ**	**कुल प्राप्तियाँ**	**वर्ष के दौरान व्यय**	**अन्तिम अवशेष**
1	केन्द्रीय वित्त आयोग	0	0	0	0	0
2	राज्य वित्त आयोग	0	2006000	2006000	827808	1178192
3	अवस्थापना विकास निधि	450000	0	450000	0	450000
4	स्वच्छ भारत मिशन	0	0	0	0	0
5	विधायक निधि (अर्जित ब्याज सहित)	0	554896	554896	532344	22552
6	बी.आर.जी.एफ.	1510000	0	1510000	1510000	0
7	यू.बी.आर.जी.एफ.	0	0	0	0	0
8	सूडा से प्राप्त अनुदान	102778	0	102778	0	102778
9	मा. मुख्यमंत्री घोषणा	0	0	0	0	0
10	निकाय निधि (ब्याज एवं अमानत सहित)	13222	217067	230289	6442	223847
	कुल योग	**2076000**	**2777963**	**4853963**	**2876594**	**1977369**

कार्यालय अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत गैरसैण, जनपद-चमोली का वर्ष 2015-16 का आय-व्यय विवरण						
क्र.सं.	**मद का नाम**	**पूर्व वर्ष का अवशेष**	**वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ**	**कुल प्राप्तियाँ**	**वर्ष के दौरान व्यय**	**अन्तिम अवशेष**
1	केन्द्रीय वित्त आयोग	0	865000	865000	581449	283551
2	राज्य वित्त आयोग	1178192	1344000	2522192	822549	1699643
3	अवस्थापना विकास निधि	450000	6638000	7088000	1299692	5788308
4	स्वच्छ भारत मिशन	0	422500	422500	0	422500
5	विधायक निधि (अर्जित ब्याज सहित)	22552	803715	826267	731343	94924
6	बी.आर.जी.एफ.	0	0	0	0	0
7	यू.बी.आर.जी.एफ.	0	672500	672500	507500	165000
8	सूडा से प्राप्त अनुदान	102778	0	102778	0	102778
9	मा. मुख्यमंत्री घोषणा	0	15728000	15728000	12397000	3331000
10	निकाय निधि (ब्याज एवं अमानत सहित)	223847	713442	937289	334689	602600
	कुल योग	**1977369**	**27187157**	**29164526**	**16674222**	**12490304**

कार्यालय अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत गैरसैण, जनपद-चमोली का वर्ष 2016-17 का आय-व्यय विवरण

क्र.सं.	मद का नाम	पूर्व वर्ष का अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान व्यय	अन्तिम अवशेष
1	केन्द्रीय वित्त आयोग	283551	1008000	1291551	0	1291551
2	राज्य वित्त आयोग	1699643	1344000	3043643	2184159	859484
3	अवस्थापना विकास निधि	5788308	0	5788308	4260154	1528154
4	स्वच्छ भारत मिशन	422500	1783000	2205500	1203280	1002220
5	विधायक निधि (अर्जित ब्याज सहित)	94924	6607	101531	28775	72756
6	बी.आर.जी.एफ.	0	767000	767000	0	767000
7	यू.बी.आर.जी.एफ.	165000	0	165000	165000	0
8	सूडा से प्राप्त अनुदान	102778	0	102778	0	102778
9	मा. मुख्यमंत्री घोषणा	3331000	0	3331000	0	3331000
10	गैरसैण विकास परिषद	0	1050000	1050000	0	1050000
11	निकाय निधि (ब्याज एवं अमानत सहित)	602600	647198	1249798	800278	449520
	कुल योग	**12490304**	**6605805**	**19096109**	**8641646**	**10454463**

लेखाओं पर टिप्पणी:-

(i) वर्ष के अंत में बड़ी धनराशि बची हुई है अर्थात योजनाओं का कृयान्वन सही ढंग से नहीं हो रहा है|

(ii) लेखाओं का रख-रखाव भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्धारित प्रारूप में नहीं किया जा रहा है|

भाग-I. 2(ii)(स)

कार्यालय अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत गैरसैण, जनपद-चमोली का केंद्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय का विवरण

वर्ष	योजना का नाम	पूर्व वर्ष का अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान व्यय	अन्तिम अवशेष
2014-15	केन्द्रीय वित्त आयोग	0	0	0	0	0
2015-16	केन्द्रीय वित्त आयोग	0	865000	865000	581449	283551
2016-17	केन्द्रीय वित्त आयोग	283551	1008000	1291551	0	1291551
2014-15	स्वच्छ भारत मिशन	0	0	0	0	0
2015-16	स्वच्छ भारत मिशन	0	422500	422500	0	422500
2016-17	स्वच्छ भारत मिशन	422500	1783000	2205500	1203280	1002220

<u>भाग II-'ब '</u>

प्रस्तर 1: इकाई द्वारा कराये गये निर्माण कार्यों की लागत में 1% उपकर (लेबर सेस) का प्रावधान न किया जाना तथा निर्माण कार्यों के बिलों के भुगतानों से `75,421/- के लेबर सेस की कटौती करके राजकोष में जमा न कराया जाना ।

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 एवं भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियमावली, 1998 के प्रभावी क्रियान्वन के सम्बंध में उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक संख्या 740/VIII/14-680(श्रम)/2002टी.सी.-II दिनांकित 13 अगस्त 2014 के अनुसार, विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्यों में नियोजित श्रमिकों के कल्याण हेतु भारत सरकार द्वारा दो अधिनियम - भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 एवं भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियमावली, 1998 के अन्तर्गत अधिनियमित किए गए हैं, जिनमें निर्माण श्रमिकों के पंजीयन के उपरान्त उन्हें विभिन्न हितकारी योजनाओं यथा-पेंशन, दुर्घटना मुआवजा, मृत्योपरान्त सहायता, चिकित्सा सहायता, बच्चों की शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता, मातृत्व हितलाभ, पुत्री के विवाह हेतु आर्थिक सहायता, टूल किट के रूप में सहायता आदि द्वारा लाभान्वित किये जाने हेतु प्रावधान निहित किये गये हैं | उक्त अधिनियम में पंजीकृत श्रमिकों के कल्याणकारी योजनाओं के लिए धन की व्यवस्था हेतु निर्माण अधिसठानों द्वारा अपने निर्माण कार्य की लागत का **1% उपकर** के रूप में कल्याण बोर्ड की निधि में जमा किए जाने का प्रावधान निहित है | "

इसी दृष्टि से शासन के श्रम एवं सेवायोजन अनुभाग द्वारा अधिसूचना संख्या : 474(2)/VIII/12-35(श्रम)/2011 दिनांक 17.05.2012 जारी करते हुए नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारियों को उपकर निर्धारण एवं संग्रहण हेतु उपकर निर्धारण एवं संग्रहण अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है | सरकारी अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संबन्धित निर्माण कार्यों की दशा में उपकर का भुगतान ऐसे कार्यों के बिलों से कटौती करके किए जाने का प्रावधान है | इस संबंध में निर्माण कार्य की लागत का 1% उपकर का भी प्रावधान निर्माण कार्यों के बजट में किए जाने की आवश्यकता है |

नगर पंचायत गैरसैण, जनपद-चमोली के चयनित निर्माण कार्यों की नमूना लेखापरीक्षा जाँच (नवम्बर 2017) में पाया गया कि इकाई द्वारा निर्माण कार्यों के आगणनों में **1% उपकर (लेबर सेस)** का प्रावधान नहीं किया गया था तथा इकाई द्वारा संलग्नक के अनुसार चयनित **15** निर्माण कार्यों के सापेक्ष **`75,41,976/-** की धनराशि का भुगतान किया गया | इकाई द्वारा इन निर्माण कार्यों से **1% उपकर (लेबर सेस)** के रूप में **`75,421/-** की धनराशि की कटौती करके संम्बन्धित लेखा शीर्ष (023000106000000) में जमा कराई जानी चाहिए थी परन्तु इकाई द्वारा इन निर्माण कार्यों के सापेक्ष किए गए भुगतानों में से **उपकर (लेबर सेस)** की कटौती करके राजकोष में जमा नहीं कराई गई |

इसे इंगित किए जाने पर तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुए इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि शासनादेशों की जानकारी के अभाव में निर्माण कार्यों के आगणनों में **1% उपकर (लेबर सेस)** का प्रावधान नहीं किया गया | इकाई ने आगे बताया कि लेबर सेस की धनराशि **`75,421/-** को संबन्धित ठेकेदारों से वसूलने के पश्चात राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी तथा वसूली हेतु संबन्धित ठेकेदारों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं |

इकाई द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक संख्या 740/VIII/14-680(श्रम)/2002टी.सी.-II दिनांकित 13 अगस्त 2014 को शासन द्वारा समस्त अधिशासी अधिकारियों को प्रेषित किया गया था | उपरोक्त शासनादेश के अनुपालन में इकाई द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों के आगणनों में **1% उपकर (लेबर सेस)** का प्रावधान किया जाना चाहिए था तथा निर्माण कार्यों के बिलों से भुगतान के समय **1% उपकर (लेबर सेस)** की कटौती करके राजकोष में जमा कराई जानी चाहिए थी |

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है |

नगर पंचायत गैरसैण, जनपद-चमोली द्वारा निर्माण चयनित निर्माण कार्यों के बिलों के भुगतानों से लेबर सेस की कटौती न किए जाने का विवरण (लेखापरीक्षा अवधि: वर्ष 2013-14 से 2016-17 तक)							
क्रं.सं.	वित्तीय वर्ष	निधि का नाम	कार्य का नाम	कार्य के सापेक्ष किए गए भुगतान की धनराशि	लेबर सेस की कटौती		
					जो की जानी थी (@1%)	जो की गई	अन्तर
1	2014-15	विधायक निधि	वार्ड सं.-04 में रा.इ.का. क्रीडा मैदान से मोटर मार्ग तक नाली निर्माण	100000	1000	0	1000
2	2014-15	विधायक निधि	धर्मदेवी प्राथमिक विद्यालय में चारदीवारी निर्माण	100000	1000	0	1000
3	2014-15	बी.आर.जी.एफ.	सामुदायिक मिलन केन्द्र निर्माण	1500000	15000	0	15000
4	2015-16	विधायक निधि	ग्वाल मल्ला में सी.सी. कार्य	100000	1000	0	1000
5	2015-16	अवस्थापना विकास निधि	वार्ड नं.-03 में राधाकृष्ण मन्दिर से टमटा जी के घर तक नाली निर्माण कार्य	294680	2947	0	2947
6	2015-16	अवस्थापना विकास निधि	वार्ड नं.-02 गैड गाँव में खड़ंजा सी सी मार्ग	294929	2949	0	2949
7	2015-16	अवस्थापना विकास निधि	वार्ड नं.-01 सलियाणा में खड़ंजा सी सी मार्ग	292959	2930	0	2930
8	2016-17	अवस्थापना विकास निधि	श्री हयात सिंह, वार्ड नं.-01 में खड़ंजा सी सी मार्ग निर्माण	550181	5502	0	5502
9	2016-17	अवस्थापना विकास निधि	श्री अमर सिंह, वार्ड नं.-03 में खड़ंजा सी सी मार्ग निर्माण	550984	5510	0	5510
10	2016-17	अवस्थापना विकास निधि	श्री दलवीर सिंह, वार्ड नं.-05 में खड़ंजा सी सी मार्ग निर्माण	434662	4347	0	4347
11	2016-17	अवस्थापना विकास निधि	मै. धैर्य इंटरप्राजेज़, वार्ड नं.-06 में खड़ंजा सी सी मार्ग निर्माण	550370	5504	0	5504

12	2016-17	अवस्थापना विकास निधि	श्री दिनेश गौड़, वार्ड नं.-02 में खड़ंजा सी सी मार्ग निर्माण	550202	5502	0	5502
13	2016-17	अवस्थापना विकास निधि	श्री अनिल सिंह, वार्ड नं.-04 से 05 की ओर खड़ंजा सी सी मार्ग	1262015	12620	0	12620
14	2016-17	अवस्थापना विकास निधि	श्री दिनेश पुरोहित, वार्ड नं.-07 में खड़ंजा/सी सी एवं नाली निर्माण	410175	4102	0	4102
15	2016-17	अवस्थापना विकास निधि	श्री लक्ष्मण खत्री, वार्ड नं.-04 में खड़ंजा/सी सी एवं नाली निर्माण	550819	5508	0	5508
			कुल योग	**7541976**	**75421**	**0**	**75421**

भाग II-'ब '

प्रस्तर 2: ठोस अपशिष्ट के प्रबन्धन में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली का अनुपालन न किया जाना |

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) नियमावली 2000 अधिसूचित की गयी थी (सितम्बर 2000)। इन नियमों का प्रत्येक नगरीय प्राधिकरणों द्वारा अनुपालन करते हुये नगरीय ठोस अपशिष्ट का संग्रहण, पृथकीकरण, भण्डारण, परिवहन, प्रक्रिया एवं निस्तारण किया जाना था। नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) नियमावली 2000 में संशोधन कर (अप्रैल 2016) ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली 2016 बनायी गयी जो म्युनिसिपल क्षेत्र से बाहर भी प्रभावी है। नियमावली के अनुसार निम्नलिखित मानदण्डों का अनुपालन किया जाना था।

मानदण्ड	**अनुपालन**
ठोस अपशिष्ट का संग्रहण	प्रत्येक घरों से ठोस अपशिष्ट का संग्रहण एवं उसे सामुदायिक बिन में हस्तांतरण
ठोस अपशिष्ट का पृथकीकरण	अपशिष्ट के पृथकीकरण हेतु जन जागरूकता कार्यक्रम का संचालन एवं पृथकीकृत अपशिष्टों का पुनः उपयोग एवं पुनर्प्रक्रिया को बढावा देना।
ठोस अपशिष्ट का भण्डारण	जनसंख्या घनत्व एवं अपशिष्ट के उत्पन्न मात्रा के आधार पर भण्डारण सुविधा का विकास एवं भिन्न भिन्न प्रकार के अपशिष्ट हेतु अलग–अलग रंगो में बिन का रखरखाव।
ठोस अपशिष्ट का परिवहन	अपशिष्ट के दैनिक सफाई हेतु ढंके हुये वाहनों का उपयोग एवं बहुस्तरीय हथालन को रोका जाना।
ठोस अपशिष्ट की प्रक्रिया	उपयोगी तकनीकी अथवा तकनीकी युग्म के द्वारा भू–भरण पर पड़ने वाले भार को कम करने हेतु प्रयास करना।
ठोस अपशिष्ट का निस्तारण	भू–भरण को उन अजैविक, अक्रियाशील अपशिष्टों से भरा जाना चाहिये जो जैविक प्रक्रिया द्वारा पुनर्चक्रण हेतु उपयोगी न हों।

नगर पंचायत गैरसैण, जनपद-चमोली के ठोस अपशिष्ट से संबन्धित लेखा-अभिलेखों की जांच में पाया गया कि नगर पंचायत परिक्षेत्र में प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले 1.8 मीट्रिक टन अपशिष्ट का पृथक्कीकरण नहीं किया जा रहा था तथा ठोस अपशिष्ट के संग्रहण हेतु खुले वाहनों का प्रयोग किया जा रहा था | इसके अतिरिक्त इकाई द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली, 2016 के मानदंडों जैसे भंडारण, परिवहन एवं निस्तारण हेतु भी नियमावली के मानदंडों का अनुपालन नहीं किया जा रहा था |

उपरोक्त के अतिरिक्त नगर पंचायत द्वारा ठोस अपशिष्ट के पास बिन, वाहन एवं उपकरण में आवश्यकता के सापेक्ष निम्नानुसार कमियाँ पाई गईं:-

बिन, वाहन एवं उपकरण का नाम		आवश्यक्ता	उपलब्धता	कमी
बिन (1.5 घन मी.)		100	35	65
उपकरण	हाथगाड़ी	40	12	28
	प्लास्टिक कन्टेनर	20	00	20
वाहन	Tata Ace	02	00	02

इस प्रकार नगर पंचायत द्वारा पंचायत क्षेत्र में ठोस अपशिष्ट का प्रबन्धन नियमावली के अनुसार नहीं किया जा रहा था तथा नगर पंचायत के पास आवश्यकता के सापेक्ष बिन, वाहन एवं उपकरणों की उपलब्धता में भी कमी पाई गई|

इसे इंगित किए जाने पर, इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि भूमि एवं संशाधनों की उपलब्धता न होने के कारण ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन की कोई भी कार्यवाही नहीं की जा रही है|

इकाई द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इकाई द्वारा ठोस अपशिष्ट के प्रबन्धन हेतु नियमावली में वर्णित मानदंडों का किसी भी स्तर पर अनुपालन नहीं किया जा रहा था|

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है|

<u>भाग दो (ब)</u>

प्रस्तर 3: पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि योजना (बी आर जी एफ़ योजना) के अंतर्गत धनराशि `15 लाख की लागत के सामुदायिक भवन निर्माण कार्य में अनियमितताएँ।

कार्यालय नगर पंचायत, गैरसैण, जनपद-चमोलीकी पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि योजना (बी आर जी एफ़ योजना) से संबन्धित पत्रावलियों की नमूना लेखा परीक्षा जांच में पाया गया कि इकाई को उक्त योजना के अंतर्गत वर्ष 2013-14 में जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा पत्रांक 923/बीआरजीएफ़/बजट/2013-14 दिनांक 19 दिसंबर 2013 के माध्यम से नगर पंचायत गैरसैण में सामुदायिक मिलन केंद्र हेतु **`15 लाख**की धनराशि निम्नांकित स्वीकृत/निर्देशों सहित अवमुक्त की गयी थी : -

1. यह धनराशि व्यय भारत सरकार द्वारा पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के लिए निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुरूप किया जाएगा।

2. उपरोक्त स्वीकृत कार्य का विस्तृत आगणन संबन्धित विभाग खंड या संबन्धित विभाग के कार्यरत कनिष्ठ अभियंता से तैयार करा कर तथा सक्षम अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित होने के उपरांत आगणन इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

3. निर्माण कार्य, फर्नीचर या अन्य उपकरण एवं सामग्री क्रय उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के प्रविधानों,Rate Contractकी दर के अनुसार कार्यवाही की जाय तथा एक प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न करते हुये इस कार्यालय को उपलब्ध कराई जाय।

4. प्रस्तुत एम॰ बी॰ के अनुसार यदि कार्य स्थल पर कार्य की गुणवत्ता खराब अथवा कार्य की माप कम पायी जाती है तो संबन्धित अवर अभियंता व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।

उक्त निर्माण कार्य से संबन्धित पत्रावलियों/माप पुस्तिका की जांच में पाया गया किनगर पंचायत द्वारा उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली – 2008 के नियम संख्या 31 व 39 के विरुद्ध उक्त कार्य को विभागीय पद्धति से करवाया गया था जिसके लिए इकाई द्वारा कार्यादेश संख्या मेमो/नि॰/न॰पा॰गै॰/2014-15 दिनांक 09/03/2014 के माध्यम सेअवर अभियंता नगर पंचायत गौचर/गैरसैण को कार्य सम्पन्न करवाए जाने हेतु अधिकृत किया गया था। उक्त कार्य हेतु अवर अभियंता द्वारा `22,24,593/- का आगणन तैयार कर `20 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृत हेतु प्रतिवेदित किया गया था परंतु उक्त कार्य हेतु कोई भी तकनीकि स्वीकृति नहीं ली गयी थी।उक्त कार्य हेतु इकाई द्वारा किए गए भुगतान का विवरण निम्नवत था: -

क्रमांक	बिल/भुगतान की तिथि	(मस्टर रौल) मजदूरी पर व्यय (`)	सामग्री पर व्यय (`)	रॉयल्टी (`)	कुल भुगतान (`)
प्रथम चलित बिल	15/05/14	239934	476350	8708	724992
द्वितीय चलित बिल	15/08/14	105840	341710	--	447550

तृतीय चलित बिल	20/09/14	150000	--	---	150000
चतुर्थ/अंतिम बिल	15/10/14	47336	122664	7458	177458
कुल योग =		**543110**	**940724**	**16166**	**1500000**

उपरोक्त बिलों/देयकों की जांच में पाया गया कि संलग्न मस्टर रौल पर कोई भी तिथि अंकित नहीं की गयी थी जिससे यह स्पष्ट नहीं था कि मजदूरों द्वारा कार्य किस माह/तिथियों में किया गया था। मस्टर रोल पर सभी मजदूरों के अगुंठों के निशान लिए गए थे परंतु उक्त निशानों को किसी भी सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था। मस्टर रोल पर मजदूरों को किए गए भुगतान का योग भी त्रुटिपूर्ण था। मस्टर रोल पर `151800/- के सापेक्ष `156000/- (`4200 अधिक),`86034/- के सापेक्ष `83934/- (`2100 कम) एवं `47236/- के सापेक्ष `47336/- (`100 अधिक) का भुगतान किया गया था।

आगे जांच में पाया गया कि सामग्री अधिप्राप्ति हेतु न तो कोई निविदा आमंत्रित की गयी थी और न ही कोटेशन प्रक्रिया का अनुपालन किया गया था जबकि उक्त कार्य हेतु **`940724/-**की सामग्री क्रय की गयी थी। उक्त कार्य हेतु फर्म द्वारा सीमेंट अलग-अलग बिलों में अलग-अलग दर से उपलब्ध करवाई गयी थी जिसके कारण फर्म को `3070/- का अधिक भुगतान किया गया था। (बिल संख्या 1128 में 307 बैग @`400/- एवं 000181 में 88 बैग @`390/- के अनुसार)।उक्त कार्य के लिए समस्त भुगतान को बैंक से आहरण कर मजदूरों व सपल्यार्स को नगद भुगतान किया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुये अपने उत्तर में बताया गया कि नवसृजित पंचायत होने के कारण कोई भी पंजीकृत ठेकेदार उपलब्ध नहीं था, इसलिए कार्य विभागीय पद्धति से करवाया गया था। उक्त कार्य हेतु प्राधिकृत अधिकारी से कार्योत्तर तकनीकि स्वीकृति लिए जाने की कार्यवाही की जाएगी।मस्टर रौल/फर्म्स के बिलों/बीजकों पर कोई भी तिथि अंकित नहीं किए जाने एवं मजदूरों के अगुंठों के निशानों को किसी भी सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किए जाने के संबंध में इकाई द्वारा बताया गया कि त्रुटिवश नहीं किया जा सका था, भविष्य में अनुपालन किया जाएगा। मस्टर रोल/सप्लायर्स के देयकों पर किए गए भुगतान के योग/अन्य त्रुटियों के संबंध में इकाई द्वारा बताया गया कि संबन्धित देयकों की जांच कर उचित कार्यवाही की जाएगी। निर्माण सामग्री हेतु निविदा/ कोटेशन प्रक्रिया की भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उक्त निर्माण कार्य को उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के अनुसार लोक निर्माण विभाग के विपरीत विभागीय पद्धति से करवाया गया था तथा सक्षम अधिकारी से आवश्यक तकनीकि स्वीकृति भी नहीं ली गयी थी। सामग्री क्रय में अधिप्राप्ति नियमावली का अनुपालन न किया जाना, मस्ट्रोल/बिलों पर तिथि अंकित न किया जाना, मस्ट्रोल/बीजकों में योग का त्रुटिपूर्ण पाया जाना विभागीय शिथिलता को दर्शाता है।

अतः प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-III</u>

(क) परिचयात्मक : कार्यालय **अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत गैरसैण, जनपद- चमोली** के लेखा/अभिलेखों की वित्तीय वर्ष **2013-14** से **2016-17** तक की संप्रेक्षा श्री वी.पी.सिंह, ले.प.अ. के आंशिक पर्यवेक्षण में श्री एस.के.वर्मा, स.ले.प.अ., श्री नित्यानन्द सिंह, स.ले.प.अ. तथा श्री लक्ष्मण सिंह, व.ले.प. द्वारा दिनांक **07 नवम्बर 2017** से **13 नवम्बर 2017** तक संपादित की गयी|

(ख) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब ' प्रस्तर संख्या	STAN प्रस्तर संख्या
इकाई की यह प्रथम लेखापरीक्षा थी|			

(ग) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
			इकाई की यह प्रथम लेखापरीक्षा थी|	

भाग – IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(इस भाग में इकाई द्वारा निष्पादित सबसे अच्छे कार्य (यदि कोई हों) जो लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आये हैं, उनका वर्णन किया जाय)

<u>भाग – V</u>
<u>आभार</u>

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बन्धी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत गैरसैण, जनपद-चमोली** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है | तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:-

(i)
(ii) } **शून्य**

2. सतत अनियमितताएँ**:** **शून्य**

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया:-

क्रं.सं.	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**
01.	श्री दिनेश चन्द्र पंत	अधिशासी अधिकारी	13.06.13 से 23.03.15 तक
02.	श्री विपिन चन्द्र पंत	नायब तहसीलदार	23.03.15 से 31.05.15 तक
03.	श्री एल.एम.मिश्र	अधिशासी अधिकारी	01.06.15 से 16.05.17 तक
04.	श्री जी.एल.आर्य	अधिशासी अधिकारी	16.05.17 से वर्तमान तक
05.	श्री गंगा सिंह पंवार	अध्यक्ष	04.05.13 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएँ जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत गैरसैण, जनपद-चमोली** को पत्रांक संख्या स्था.नि./ले.प./न.ले.प.टि./2017-18/33 दिनांकित 14.11.2017 के द्वारा इस आशय से प्रेषित कर दी गई है कि इसकी अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे **उपमहालेखाकार/स्थानीय निकाय, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, द्वितीय तल, "महालेखाकार भवन", कौलागढ़, आई.पी.ई., देहरादून-248 195** को प्रेषित कर दी जाय|

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी
स्थानीय निकाय